न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 04 / 2018

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

वशनाराम पुत्र डायाराम जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

1. ग्राम पंचायत इन्द्राणा जरिये सरपंच
2. ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत इन्द्राणा
3. सूजाराम पुत्र गिरधारीजी
4. मेहरसिंह पुत्र शंकरलाल
5. शंकरलाल पुत्र पूनमाजी जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 68 दिनांक 31.08.1986 जो ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री कपिल श्रीमाली, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4व5 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं 1,2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 07 / 2018

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

प्रवीण राजपुरोहित पुत्र शंकरलाल जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

1. सूजाराम पुत्र गिरधारीजी जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
2. ग्राम पंचायत इन्द्राणा

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या 68 दिनांक 31.08.1986 जो ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा जारी किया गया।

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30 / 12 / 2019

1. प्रार्थीगण की ओर से यह दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत इन्द्राणा की ओर से अप्रार्थी सूजाराम पुत्र गिरधारीजी निवासी इन्द्राणा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 68 दिनांक 31.08.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त दोनो निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा हैं तथा निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा अप्रार्थी सूजाराम पुत्र गिरधारीजी के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों / लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भू–खण्ड आवंटन का विक्रय विलेख सं. 68 दिनांक 31.08.1986 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1350 वर्गफुट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा उक्त पट्टा जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थीगण ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत इन्द्राणा का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया जो ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से भिजवाने में असमर्थता जाहिर की गई।

4. प्रार्थीगण वशनाराम की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम इन्द्राणा की आबादी भूमि मे रहवासरत हे जहां उसका पैतृक आवासीय कब्जाशुदा भूखण्ड आया हुआ हैं। प्रार्थी एवं उसके भाई जबराराम द्वारा अपने उक्त कब्जाशुदा रहवासीय भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टा संख्या 39 दिनांक 19.12.2012 को जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक कब्जाशुदा रहवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने के बाद उसमें एक भूखण्ड जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.07.2013 को मेहरसिंह पुत्र शंकरलाल जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा को किया तथा शेष में से अन्य भूखण्ड जरिये रजिस्ट्री दिनांक 30.10.2015 को शंकरलाल पुत्र पूनमाजी जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा को किया गया। उक्त दोनो भूखण्ड बेचान के पश्चात शेष भूखण्ड पर प्रार्थी एवं उसके भाई जबराराम का ही कब्जा एवं स्वामित्व हैं। अप्रार्थी सूजाराम को प्रार्थी के उक्त कब्जे एवं स्वामित्व दस्तावेज की जानकारी होने के बावजूद गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी कब्जे व रहवास के फर्जी पट्टे का दस्तावेज तैयार कर सिविल न्यायालय सिवाना के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमे न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त कर विवादित भूमि की मौका कब्जा रिपोर्ट ली गई। सिविल न्यायालय द्वारा मुकर्रर मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत मौका कब्जा रिपोर्ट में अप्रार्थी सूजाराम का कोई कब्जा नहीं पाया गया हैं। इस आधार पर बिना कब्जा के अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं।

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा उक्त पट्टा निःशुल्क आवासीय भूखण्ड के प्रपत्र की श्रेणी के अन्तर्गत जारी किया गया हैं जिसके पद सं. 8 में स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं कि आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा, यदि उस अवधि में ये कार्य नहीं किया गया तो वापिस भूखण्ड लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। विशेष कारण बताने पर आवंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक की वृद्धि भी कर सकता हैं। अप्रार्थी सूजाराम की खातेदारी भूमि ग्राम इन्द्राणा में आई हुई है तथा उनके पक्के आवासीय मकान आबादी ग्राम इन्द्राणा में आये हुए हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा में उल्लेखित शर्त अनुसार अप्रार्थी को पट्टा जारी होने के दो वर्ष के भीतर निर्माण कराया जाना आवश्यक था जबकि मौका कमिशनर की रिपोर्ट अनुसार मौके पर इस प्रकार का कोई निर्माण नहीं पाया गया हैं ऐसे में अप्रार्थी का आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी के आलौच्य पट्टा विलेख में पश्चिम दिशा में गिरधारीराम पुत्र गोकाजी पुरोहित का भूखण्ड दर्शाया गया हैं जिसके नाप व पडौस स्पष्ट अंकित हैं, जिसके आस-पडौस में कहीं गली या रास्ता आवागमन हेतु नहीं दर्शाया गया हैं। इस प्रकार बिना आवागमन के रास्ते के आलौच्य पट्टा स्पष्ट रूप से फर्जी एवं कूटरचित तरीके से तैयार किया जाना साबित होता हैं, जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 68 को निरस्त फरमाया जावें।

6. प्रार्थी प्रवीण राजपुरोहित की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आलौच्य पट्टा विलेख अनुसूचित जाति/जनजाति, कारीगरों/लघु व सीमान्त कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन योजना के अन्तर्गत जारी किया गया हैं जो नियम विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने हेतु कोई पत्रावली कायम नहीं की गई हैं और न ही उक्त पट्टे में यह अंकित किया हैं कि यह किसी नियम के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहत जारी किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय से उक्त पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली की सूचना का अधिकार के तहत प्रतिलिपि मांगने पर ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठक कार्यवाही रजिस्टर, पट्टा मिसल, पट्टा बही उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया हैं। इस प्रकार बिना किसी नियमों के एवं बिना प्रक्रिया का पालन किये ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाया जावें।

7. अप्रार्थी सूजाराम के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम इन्द्राणा की आबादी भूमि में अप्रार्थी के दोनो आवासीय भूखण्ड आये हुए है जो उनके पूर्वजों के विगत 35 वर्षों से कब्जा हैं। ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा प्रार्थी एवं उनके पिता के नाम से दो अलग--अलग पट्टा सं. 23 दिनांक 23.08.1985 एवं आलौच्य पट्टा सं. 68 दिनांक 31.08.1986 को जारी किये गये हैं। प्रार्थी के परिवार की इसी भूमि पर प्रार्थी एवं उसके भाई के पक्ष में ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा 4500 वर्गगज अर्थात् 40500 वर्गफीट का पट्टा सं. 39 जारी किया गया हैं जो नियमविरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं, जिसके लिए अप्रार्थी द्वारा पृथक से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी के पक्ष में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया हैं तथा यदि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की किसी शर्त की पालना नहीं हुई हैं तो इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु ग्राम पंचायत स्वंय ही सशक्त हैं। इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा ग्राम पंचायत की शक्तियों के प्रयोग कर उनके क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण किया जाना विधि संगत नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनो ही निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाई जावें।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1986 में ग्राम पंचायत की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 68 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण का कथन हैं कि आलौच्य पट्टा

Ansh
जिला कलक्टर
बाडमेर

की शर्त सं. 8 में दो वर्ष के भीतर निर्माण नहीं करने पर कब्जा ग्राम पंचायत द्वारा वापिस लिया जा सकता हैं, किन्तु पत्रावली के अवलोकन से उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत की ओर किया जाना नहीं पाया गया हैं और न ही निर्माण की अनुमति हेतु दो वर्ष की अवधि वृद्धि हेतु भी कोई कार्यवाही हुई हैं। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट में मौके पर कोई निर्माण नहीं होना उल्लेखित किया गया हैं। इसके अलावा मौका रिपोर्ट में किसी के स्पष्ट कब्जे की स्थिति दर्शायी नहीं है एवं इस रिपोर्ट में आलौच्य पट्टा सं. 68 के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनो ही निगरानी प्रार्थना पत्रों में धारा 97 के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य पट्टा निरस्त किये जाने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया हैं। जहां तक आलौच्य पट्टा विलेख में उल्लेखित शर्त सं. 8 का प्रश्न हैं तो यदि प्रार्थीगण इस शर्त का भंग होना मानते हैं तो इसके लिये ग्राम पंचायत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 68 के बाबत प्रार्थीगण साबित नहीं कर सके हैं तथा रेकर्ड के अभाव में धारा 97 के तहत उक्त पट्टे की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर जांच संभव नहीं होने से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

10. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 11:03:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: